



FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

बनाम राजा नन्द बज्र
धुरली
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 215 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
25-2-2022	<p>नाबला पेश हुई। अनुलाय फादर उप./अनुपालन। गौठाली। तीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग । पत्रावली प्रारिप्त कार्यवाही ले भाव. 2-5-22 को देना है</p> <p> रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
02.05.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

रीडर
उप. शीर
डारा उ
परीक्षण
करे
↑